

कार्यालय
आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0
धन्वन्तरि भवन, 7 लालबाग, लखनऊ ।

पत्रांक 1732/बोर्ड-आयु0फार्मे0उप0 वार्षिक परीक्षा (अक्टू 19)/19 लखनऊ दिनांक- 24 -09-2019

कार्यालय ज्ञाप

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 की संकाय की बैठक दिनांक 27-08-2019 में पारित किये गये प्रस्ताव के अनुपालन में एतद्द्वारा सत्र 2015-16 की आयुर्वेदिक उपचारिकाओं की वार्षिक प्रसूति परीक्षा, सत्र 2016-17 की आयुर्वेदिक एवं यूनानी उपचारिकाओं की अन्तिम वर्ष वार्षिक परीक्षा, सत्र 2017-18 के आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्टों की अन्तिम वर्ष वार्षिक परीक्षा एवं सत्र 2018-19 के आयुर्वेदिक तथा यूनानी फार्मेसिस्ट तथा उपचारिकाओं की प्रथम वर्ष वार्षिक परीक्षाओं (दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 से प्रस्तावित), हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों को ही परीक्षा केन्द्र तथा सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य को केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ।

उक्त परीक्षाओं की लिखित एवं कियात्मक परीक्षा के सम्बन्ध में निर्देश निम्नवत है -

01- बोर्ड द्वारा यथासमय उपलब्ध कराये गये प्रश्नपत्रों के सील्ड पैकेटों को केन्द्राध्यक्ष द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा सम्बन्धित विषय की लिखित परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पूर्व परीक्षा हाल में दोनो कक्ष निरीक्षकों की उपस्थिति में सील्ड प्रश्नपत्र लिफाफा खोला जायेगा । लिफाफे पर स्वयं के तथा दोनो कक्ष निरीक्षकों के हस्ताक्षर दिनांक तथा समय सहित कराये जायेंगे एवं लिफाफे को सुरक्षित रखते हुए शेष प्रश्न पत्रों के साथ सील्ड पैकेट में बोर्ड कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा ।

02- प्रतिदिन लिखित परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तरपुस्तिकाओं को सील्ड कराये तथा उस पर स्वयं हस्ताक्षर करें साथ ही कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर कराये तथा लिखित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उसी दिन या उसके दूसरे दिन हर हाल में डाक द्वारा अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा उत्तरपुस्तिकाएँ बोर्ड कार्यालय को प्रेषित करें । सील्ड पैकेट में विषय का नाम तथा प्रेषक संस्था का नाम अवश्य अंकित किया जाये ।

03- नकल करते पकड़े गये परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका नकल सामग्री के साथ जब्त कर ले तथा उत्तरपुस्तिका के अन्त में स्पष्ट रूप से अंकित करें कि परीक्षार्थी को नकल करते हुए पाया गया तथा उस पर अपना हस्ताक्षर तथा कक्ष निरीक्षकों के हस्ताक्षर करा लें तथा परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु दूसरी उत्तरपुस्तिका दे दें । दूसरी उत्तरपुस्तिका एवं नकल करते हुए पकड़ी गई उत्तरपुस्तिका को एक साथ संलग्न कर अलग से सील्ड कर प्रेषित करें ।

04- बोर्ड द्वारा यथा समय उपलब्ध कराये गये प्रवेश पत्रों को परीक्षार्थी को हस्तगत करा दें तथा डेस्क स्लिपों को मेज पर चस्पा करा दें । सीटिंग व्यवस्था का चार्ट परीक्षा कक्ष के बाहर चस्पा करा दें ।

05- बोर्ड द्वारा यथा समय उपलब्ध कराये गये उपस्थिति चार्ट पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर प्रतिदिन कराये तथा परीक्षा कक्ष में उपस्थित छात्राओं के प्रवेश पत्र की जाँच कर लें ।

06- परीक्षा निर्धारित समय में प्रारम्भ की जाये तथा निर्धारित समय में समाप्त करायी जाये ।

07- परीक्षा केन्द्र में बोर्ड का प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक उपस्थित होंगे जिनका पूर्ण सहयोग करें ।

08- परीक्षा शुरू होने के पूर्व परीक्षार्थी को यह सूचित कर दें कि उत्तरपुस्तिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्देशों को भली भाँति पढ़ लें । परीक्षा सम्बन्धी समस्त अनियमित तथा वर्जित सामग्री परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व परीक्षा कक्ष से बाहर जमा कर दें । परीक्षा के समय मोबाइल पूर्णतया वर्जित है । यह

भी अवगत करा दे कि उत्तरपुस्तिका में परीक्षार्थी अपनी पहचान बनाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं करेंगे और न ही अपना नाम अंकित करेंगे। यदि किसी भी प्रकार का चिन्ह अथवा नाम उत्तरपुस्तिका में पाया जाता है तो उसकी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन रोक दिया जायेगा।

09- परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थी को उचित दूरी में बैठने की व्यवस्था की जाये।

10- प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दो कक्ष निरीक्षक होंगे जिनकी नियुक्ति प्रधानाचार्य/केन्द्राध्यक्ष द्वारा की जायेगी तथा उसकी सूचना बोर्ड को प्रेषित की जायेगी।

11-क्रियात्मक परीक्षा में अंतरंग परीक्षक सम्बन्धित विषय का अध्यापक होगा जिसकी नियुक्ति प्रधानाचार्य/केन्द्राध्यक्ष द्वारा की जायेगी एवं उसकी सूचना बोर्ड को प्रेषित की जायेगी।

12-वाह्य क्रियात्मक परीक्षकों की नियुक्त बोर्ड द्वारा की जायेगी। सम्बन्धित विषय की क्रियात्मक अंकतालिका वाह्य क्रियात्मक परीक्षक को उपलब्ध करा दें।


(डा०अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार

पत्रांक /बोर्ड-आयु०फार्मे०उप० वार्षिक परीक्षा (अक्टू० 19)/19 लखनऊ दिनांक- 24 -09-2019
प्रतिलिपि-


01- मा० अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र०।

02- मा० सदस्यगण, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, /संकाय उ०प्र०

03-सत्र 2018-19 तक बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मेसिस्ट, उपायिका प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्यों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

04-शिक्षानुभाग, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र०

05- एस०आर०नेट, गोमतीनगर को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(डा०अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार